न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 188/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
भंवरलाल पुत्र उदाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम राजीव नगर बरजासर, तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1– अर्जुनराम पुत्र खेताराम 2– बाबुराम पुत्र खेताराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम राजीव नगर, बरजासर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर 3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 298/2012 अनवान अर्जुनराम वगैरा बनाम भंवरलाल वगैरा मे दिनांक 14–3–2015 को पारित किया गया ।

उपस्थिति:–

1– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 22–3–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारो का खेत सरहद मौजा राजीव नगर पटवार क्षेत्र बरजासर के खसरा नंबर 217/2 रकबा 20 बीघा भूमि के पश्चिमी दिशा की ओर अप्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) का खेत खसरा नंबर 217/6 रकबा 8 बीघा आया हुआ है तथा प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमा बाबत विवाद होने से पूर्व मे दिनांक 8–6–2011 को की गई पैमाईश रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–3–15 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ग्राम राजीव नगर (बरजासर) स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 217/2 रकबा 20 बीघा भूमि पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 8–6–11 के माफिक सीमा पर दोनो पक्षकारान की मौजुदगी मे पत्थरगढी करने बाबत तहसीलदार फलोदी को आदेशित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी मौखिक बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन भूमि का मूल खसरा नंबर 217 का रकबा जमाबंदी व

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

नक्शा से मिलान नही खाता है । इस खसरे का जमाबंदी मे रकबा अधिक है और नक्शे का क्षेत्रफल जमाबंदी मे दर्ज रकबे से कम है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे खसरा नंबर 217 के बट्टा नंबर के सभी खातेदारान को पक्षकार बनाना कानूनन आवश्यक था ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय ने जिस पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 8–6–2011 को आधार मानकर पारित किया गया है वह पैमाईश रिपोर्ट सभी पक्षकारान की मौजुदगी मे तैयार नही की गई थी जबकि पत्थरगढी का आदेश निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पारित किया जा सकता है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे हमारी ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया गया था जिसमे उक्त एतराज का स्पष्ट उल्लेख था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे जवाब को नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश लोक अदालत मे अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–3–2015 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर अपीलांट एवं रेस्पो0 की उपस्थिति मे पैमाईश करवाकर नये सिरे से आदेश पारित करने के निर्देश पारित कर दिये जाये ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे जो दिनांक 8–6–11 की पैमाईश रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये है, वह पैमाईश अपीलांट एवं अन्य खातेदारो की अनुपस्थिति मे तैयार की हुई है तथा अपीलाधीन आदेश भी एकतरफा पारित किया गया है इसलिए प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय आदि का भी अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन करने पर यह प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया है तथा जिस पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 8–6–11 के अनुसार पत्थरगढी करने बाबत जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उक्त पैमाईश रिपोर्ट अपीलाधीन खसरा नंबर 217 के खातेदारो की अनुपस्थिति मे एकतरफा तैयार की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त पैमाईश रिपोर्ट बाबत आपत्ति एवं लिखित जवाब प्रस्तुत कर दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जवाब पर गौर किये बिना एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है।

अति० सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–3–2015 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबर 217/2 की पैमाईश वर्तमान अपील के अपीलांट एवं रेस्पो0गण तथा अन्य पडौसी खातेदारो को की उपस्थिति मे सम्पन्न करे तथा निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः नये सिरे से पत्थरगढी बाबत आदेश पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 22–3–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर